10945—Reh.—Item No. 1—H.G.P., Chd.

XXIV

X. भारतीय सनातन धर्म शिक्षा समिति जौलीखेड़ी राजनशीप

परिशिष्ट तेईसवां

[नियम 91 (8)]

आम नीलामी से भिन्न ढंग से बेची जाने वाली निःशुल्क सम्पत्तियों के सम्बन्ध में निष्पादित किया जाने वाला विलेख।

यह करारनामा एक पक्ष से भारत के राष्ट्रपति एतत्पश्चात् जिन्हें "विक्रेता" (इस शब्द से, यदि प्रसंग तथा अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितियों का भी बोध होगा) कहा जाएगा तथा दूसरे पक्ष से श्री—X——————सुपुत्र श्री——X——————जिसे "खरीदार" (इस शब्द से, यदि प्रसंग तथा अर्थ के प्रतिकूल न हो, उस के वारिसों, निष्पादकों तथा प्रबन्धकों का भी बोध होगा) कहा जायेगा, के मध्य दिनांक—17-2-82 मास——————एक हज़ार नौ सौ को सम्पन्न हुआ।

चूंकि विक्रेता अधोलिखित पहली अनुसूची में विशेषतया वर्णित दयाप्त (Hereditaments) भूमि और परिसर पर पूर्ण रूप से काबिज है।

X. भारतीय सनातन धर्म शिक्षा समिति जौलीखेड़ी राजनशीप

(Rupees Sixty One Thousand Four Hundred Ten only)

और चूंकि विक्रेता खरीदार को एतद् द्वारा विक्रय के लिए अभिप्रेत उक्त भूमि श्री—X——————को—61410/-—रु० कीमत पर पूर्ण रूप से बेचने के लिए सहमत है, और यह रकम खरीदार द्वारा विक्रेता को (—61410/-—नक़द तथा——x——) उस मुआवजे में समंजन द्वारा दी गई है जो विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन खरीदार या उसके उन साथियों को देय है जिनके नाम अधोलिखित दूसरी अनुसूची में दिये गये हैं और विक्रेता प्राप्ति स्वीकार करता है तथा रसीद देता है और खरीदार को उस के मुक्त करता है।

तथा चूंकि उक्त साथी खरीदार की सम्पत्ति देने, छोड़ने, अभिहस्तान्तरित करने तथा सुरक्षित करने के लिए सहमत हैं, विक्रेता विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन बने नियमों के नियम——————के अनुसरण में इस द्वारा भूमि के भाग या खण्ड, दायाप्ति तथा परिसर 99/10-3 ... से ज्ञात है तथा अधोलिखित पहली अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित सभी भवन कामन रूम (स्थान) अहाते, नालियां, रास्ते, जल, जल-मार्गों के साथ उस भूमि भाग के साथ जो स्वतन्त्रता, विशेषाधिकार प्राप्त हों या जिनका प्रयोग किया जाता हो तथा सारी सम्पदा, अधिकार, परम्परागत क्लेम तथा उक्त परिसर तथा उसके प्रत्येक भाग में तथा उस पर विक्रेता की मांग सिवाय निम्न के जो विक्रेता द्वारा आरक्षित रखे जाएंगे, हर प्रकार की कानें तथा खनिज पदार्थ जो उक्त परिसर के अन्दर हों, विक्रेता उसके एजन्ट तथा कर्मिकों को किसी भी समय उसमें या उसके किसी भाग में दाखिल होने, तलाश करने तथा उक्त परिसर में से या उसके अन्दर से या विक्रेता की किसी साथ की भूमि या कान से वस्तुओं/खनिज पदार्थों को ले जाने की स्वतन्त्रता होगी।

तथा उक्त परिसर के सारे भूतल को या उसके भाग और उस पर बने या इसके बाद बनाये जाने वाले भवनों को ऐसा करने से खरीदार को हुई क्षति के लिए उचित मुआवज़ा दे कर, किराये पर दे सकता है। खरीदार प्रयोग के लिए इस द्वारा दिये गये छोड़े गए अभिहस्तान्तरित किए गए तथा सुरक्षित या ऐसा करने के लिए प्रतिज्ञात उक्त भूमि, दायाप्ति तथा परिसर को उक्त परिसर पर लगाये जाने वाले भू-राजस्व उपकार या कर की अदायगी की शर्त के अधीन रख सकता है. तथा विक्रेता खरीदार से इस द्वारा उपबन्ध करता है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की और न ही किसी को करने दी है जिससे उक्त परिसर भार ग्रहस्त हो या उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े तथा खरीदार विक्रेता द्वारा या विक्रेता या वैध रूप से या सामयिक रूप से उससे उसके अधीन या उसके लिए न्यास में क्लेम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा/से——————वैध, बेदखली, बाधा, क्लेम या मांग, जो भी हो, के सिवाय एतत्पश्चात् हर समय उक्त भूमि दायाप्ति तथा किन्हीं व्यक्तियों द्वारा/से परिसर का शान्तिपूर्ण ढंग से कब्जा रख सकता है तथा उसका प्रयोग कर सकता है तथा उसका किराया प्राप्त कर सकता है और उनसे होने वाले लाभ प्राप्त कर सकता है, और यह भी कि उक्त विक्रेता तथा ऐसे सब व्यक्ति जो कि किसी सम्पदा पर या उक्त भूमि, दायाप्तियों

Junior Wing

2

और परिसरों में या उन में से किसी एक या किसी के भाग के लाभ पर विक्रता के अधीन या उसके न्यास के लिये कानून द्वारा या उपयुक्त ढंग से अधिकार रखते हों, या उन पर काबिज हों, ऐसे सभी काम, ऐसी कार्यवाहियां और हर प्रकार की ऐसी बातें, इस समय तथा भविष्य में भी हर समय या कभी-कभी खरीदार की प्रार्थना तथा खर्च पर उक्त भूमि दायाप्ति तथा परिसर तथा उसका हर भाग खरीदार को और उसके प्रयोग के लिए उपर्युक्त ढंग से जैसा भी अपेक्षित हो या होगा, भविष्य में अधिक पूर्णता से सुरक्षित रखने के लिए करेंगे निष्पादित करेंगे, या करने तथा निष्पादन करने का प्रबन्ध करेंगे।

इस के साक्ष में विक्रेता ने उपरिलिखित दिन तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये.... 29.4.87

अनुसूची I

भूमि तथा भवन का भाग या खण्ड जो नीलोखेड़ी स्थान पर स्थित है तथा जिसका माप 10 कनाल 3 मरले है या इसके लगभग है तथा जिस की सीमा :—

उत्तर में——————है।
दक्षिण में——————है।
पूर्व में——————है।
पश्चिम में——————है।

खसरा नं. 79 // 10 कनाल 3 मरले
नीलोखेड़ी राजकीय [illegible]

(Signature) 29/4/87
TEHSILDAR (SALES) CUM
M.O. KARNAL.

अनुसूची II

साथियों के नाम :—

1. (1) [illegible] राजकीय [illegible] नीलोखेड़ी [illegible] द्वारा
2. (2) भारतीय [illegible] शिक्षा समिति
3.
4. नीलोखेड़ी [illegible] जिला करनाल
5. ——————
6. ——————

(Signature) 29/4/87
TEHSILDAR (SALES) CUM
M.O. KARNAL.

उक्त——————द्वारा——————की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से हस्ताक्षरित

1. ——————

2. ——————

और परिसरों में या उन में से किसी एक या किसी के भाग के लाभ पर विक्रता के अधीन या उसके न्यास के लिये कानून द्वारा या उपयुक्त ढंग से अधिकार रखते हों, या उन पर काबिज हों, ऐसे सभी काम, ऐसी कार्यवाहियां और हर प्रकार की ऐसी बातें, इस समय तथा भविष्य में भी हर समय या कभी-कभी खरीदार की प्रार्थना तथा खर्च पर उक्त भूमि दाखिल तथा परिसर तथा उसका हर भाग खरीदार को और उसके प्रयोग के लिए उपयुक्त ढंग से जैसा भी अपेक्षित हो या होगा, भविष्य में अधिक पूर्णता से सुरक्षित रखने के लिए करेंगे निष्पादित करेंगे, या करने तथा निष्पादन करने का प्रबन्ध करेंगे।

इस के साक्ष में विक्रेता ने उपरिलिखित दिन तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये.... 19-8-57

अनुसूची I

भूमि तथा भवन का भाग या खण्ड जो नीलोखेड़ी स्थान पर स्थित है तथा जिसका माप ———— है या इसके लगभग है तथा जिस की सीमा :— ट्रेनीज़ होस्टल (आधा भाग) नीलोखेड़ी राजमार्ग

उत्तर में———— है।

दक्षिण में———— है।

पूर्व में———— है।

पश्चिम में———— है।

TEHSILDAR (SALES) CUM M. O. KARNAL. 19/8/57

अनुसूची II

साथियों के नाम :—

(1) 1. एक कापी रजिस्ट्रार, नीलोखेड़ी,

2.

(2) 3. प्रिंसिपल बेसिक नीलोखेड़ी,

4.

(3) 5. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च/बालिका उच्च विद्यालय गर्ल्ज़ हाई स्कूल, नीलोखेड़ी

6.

उक्त ———— द्वारा ———— की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से हस्ताक्षरित

TEHSILDAR (SALES) CUM M. O. KARNAL. 19/8/57

1.

Exempted from stamp duty under Rule 118 of the Displaced persons (Compensation & Rehabilitation) Rules, 1955

10945—Roh.—Item No. 1—H.G.P., Chd.

XXIV. परिशिष्ट तेईसवां

[नियम 91 (8)]

ग्राम नीलामी से भिन्न ढंग से बेची जाने वाली नि:शुल्क सम्पत्तियों के सम्बन्ध में निष्पादित किया जाने वाला विलेख।

यह करारनामा एक पक्ष से भारत के राष्ट्रपति एतत्पश्चात् जिन्हें "विक्रेता" (इस शब्द से, यदि प्रसंग तथा अर्थ के प्रतिकूल न हों, उसके उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशतियों का भी बोध होगा) कहा जाएगा तथा दूसरे पक्ष से श्री X सुपुत्र श्री ———— जिसे "खरीदार" (इस शब्द से, यदि प्रसंग तथा अर्थ के प्रतिकूल न हो, उस के वारिसों, निष्पादकों तथा प्रबन्धकों का भी बोध होगा) कहा जायेगा, के मध्य दिनांक 12-7-85 मास ———— एक हजार नौ सौ को सम्पन्न हुआ।

चूंकि विक्रेता अधोलिखित पहली अनुसूची में विशेषतया वर्णित दयाप्त (Hereditaments) भूमि और परिसर पर पूर्ण रूप से काबिज है।

(Rs Two lacs fifty thousand only)

और चूंकि विक्रेता खरीदार को एतद् द्वारा विक्रय के लिए अभिप्रेत उक्त भूमि श्री X [illegible] को 2,50,000/- रु० कीमत पर पूर्ण रूप से बेचने के लिए सहमत है, और यह रकम खरीदार द्वारा विक्रेता को (2,50,000/- नकद तथा ————) उस मुआवजे में समंजन द्वारा दी गई है जो विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनिर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन खरीदार या उसके उन साथियों को देय है जिनके नाम अधोलिखित दूसरी अनुसूची में दिये गये हैं और विक्रेता प्राप्ति स्वीकार करता है तथा रसीद देता है और खरीदार को उस के मुक्त करता है।

तथा चूंकि उक्त साथी खरीदार को सम्पत्ति देने, छोड़ने, अभिहस्तान्तरित करने तथा सुरक्षित करने के लिए सहमत हैं, विक्रेता विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनिर्वास) अधिनियम, 1954 के अधीन बने नियमों के नियम 91(8) के अनुसरण में इस द्वारा भूमि के भाग या खण्ड, दायाप्ति तथा परिसर जो ———— नाम से ज्ञात है तथा अधोलिखित पहली अनुसूची में विशेष रूप से उल्लिखित सभी भवन कामन रूम (स्थान) अहाते, नालियां, रास्ते, जल, जल-मार्गों के साथ उस भूमि भाग के साथ जो स्वतन्त्रता, विशेषाधिकार प्राप्त हों या जिनका प्रयोग किया जाता हो तथा सारी सम्पदा, अधिकार, परम्परागत क्लेम तथा उक्त परिसर तथा उसके प्रत्येक भाग में तथा उस पर विक्रेता की मांग सिवाय निम्न के जो विक्रेता द्वारा आरक्षित रखे जाएंगे, हर प्रकार की कानें तथा खनिज पदार्थ जो उक्त परिसर के अन्दर हों, विक्रेता उसके एजन्ट तथा कर्मिकों को किसी भी समय उसमें या उसके किसी भाग में दाखिल होने, तलाश करने तथा उक्त परिसर में से या उसके अन्दर से या विक्रेता की किसी साथ की भूमि या कान से वस्तुओं/खनिज पदार्थों को ले जाने की स्वतन्त्रता होगी।

तथा उक्त परिसर के सारे भूतल को या उसके भाग और उस पर बने या इसके बाद बनाये जाने वाले भवनों को ऐसा करने से खरीदार को हुई क्षति के लिए उचित मुआवजा दे कर, किराये पर दे सकता है। खरीदार प्रयोग के लिए इस द्वारा दिये गये छोड़े गए अभिहस्तान्तरित किए गए तथा सुरक्षित या ऐसा करने के लिए प्रतिज्ञात उक्त भूमि, दायाप्ति तथा परिसर को उक्त परिसर पर लगाये जाने वाले भू-राजस्व उपकार या कर की अदायगी की शर्त के अधीन रख सकता है तथा विक्रेता खरीदार से इस द्वारा उपबन्ध करता है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की और न ही किसी को करने दी है जिससे उक्त परिसर भार ग्रस्त हो या उस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़े तथा खरीदार विक्रेता द्वारा या विक्रेता या वैध रूप से या सामयिक रूप से उससे उसके अधीन या उसके लिए न्यास में क्लेम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा/से ———— किन्हीं व्यक्तियों द्वारा/से वैध, बेदखली, बाधा, क्लेम या मांग, जो भी हो, के सिवाय एतत्पश्चात् हर समय उक्त भूमि दायाप्ति तथा परिसर का शान्तिपूर्ण ढंग से कब्जा रख सकता है तथा उसका प्रयोग कर सकता है तथा उसका किराया प्राप्त कर सकता है और उनसे होने वाले लाभ प्राप्त कर सकता है, और यह भी कि उक्त विक्रेता तथा ऐसे सब व्यक्ति जो कि किसी सम्पदा पर या उक्त भूमि, दायाप्तियों